

कि वह वर्तमान में किस पद पर, किस व्यवस्था के अंतर्गत और कब से कार्यरत है।

3. उद्घोषणा की यह व्यवस्था भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापनों के संदर्भ में लागू होगी। पूर्व विज्ञापित पदों के बारे में यह व्यवस्था नहीं लागू होगी।
4. ऐसे आवेदक जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत किसी भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी के प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदार हैं अथवा जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यरत हैं, उनका पूरा विवरण भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट/भर्ती पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किया जायेगा।
5. वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकार की भर्ती के संदर्भ में चयन प्रक्रिया का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी से अनुमोदित कराते समय कुलपति/निदेशक तथा रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित विवरण लिखित रूप से एजेण्डा और कार्यवृत्त में समाहित करके कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा:-
 - a) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सीधी भर्ती की प्रक्रिया सम्बन्धी उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है।
 - b) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी चयनित हुआ है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुलपति/निदेशक या विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मी, संविदा कर्मी या अन्य किसी प्रकार के किसी कर्मी का कोई सम्बन्धी (रिश्तेदार) है तो उसका पूर्ण विवरण।
 - c) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी का चयन हुआ है जो उसी विश्वविद्यालय/संस्थान में पहले से कार्यरत हो, तो उसका पूर्ण विवरण।
6. प्रस्तर-5 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन 01 जून 2021 के बाद से सम्पन्न समस्त भर्ती/चयन प्रक्रिया के संदर्भ में किया जायेगा।
7. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थान में भर्ती/चयन परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके बारे में भी प्रस्तर-5 की जानकारी विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष आगामी 31 मई, 2022 से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।
8. आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगा।" इसका आशय यह है कि
 - a) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान में अपनी परीक्षाएँ परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं, उसी प्रकार भर्ती के लिये भी परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- b) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र आदि अपनी आन्तरिक teaching faculty से बनवाकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है उसी प्रकार की व्यवस्था भर्ती के लिये भी सुनिश्चित की जाये।
- c) बाह्य एजेन्सियों से प्रश्न पत्र आदि न बनवाया जाये।
9. यह आदेश माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प.य.व. चौधरी)
(हेमन्त कुमार चौधरी)
कुलाधिपति के उप सचिव।

① Registrar / Recruitment cell
② C.O.E

Mh

30/09/2022
Vice Chancellor
King George's Medical University U.P
LUCKNOW

(4-7)

- B.
- E
- निम्नलिखित
- COE

क. उपरोक्त हेतु

02/10/2022

Mr. Sankar
4/10/22

95